In The Court of Sub-Judge I Jagdishpur, Bhojpur

RAKESH KUMAR–V

Mis–06/2025

केदार राम वगैरह बनाम चंदन कुमार वगैरह

Date of Order or Proceeding	Order with the Signature of the Court	Office action taken with
24-03-2026	आवेदक ने आवेदन दिनांक–17.02.2025 आदेश–9, नियम–4 वो धारा–151 सी0पी0सी0 अंतर्गत दाखिल किया है, जिसमें संक्षेप में यह तथ्य वर्णित है कि मुदई नं0–2 अंदर मुकदमा नं0–391/21 की लंबी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, जिससे परिवार काफी शोकाकुल हो गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुकदमा से संबंधित सूचना ससमय नहीं दिया गया, जिससे मुकदमा अदम पैरवी में खारिज हो गया। आवेदकगण यह Undertake करते हैं कि टी0एस0 नं0–391/21 के Restore होने के बाद बराबर उचित पैरवी करेंगे। अतः निवेदन किया गया है कि आदेश दिनांक– 07.01.2025 को सेट एसाईड करते हुए टी0एस0 नं0–391/21 को Restore करने का हुक्म दिया जाये। देखा। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत विविध वाद आदेश–9, नियम–4 वो धारा–151 सी0पी0सी0 के तहत दाखिल किया गया है। मूल अभिलेख स्वत वाद संख्या–391/2021 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक–07.01.2025 को वादी अनुपस्थित था तथा अभिरूचि नहीं रहने के कारण प्रस्तुत वाद खारिज हो गया। आवेदक द्वारा दिनांक–29.08.2025 को न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पूर्वक बयान दर्ज कर अपने आवेदन में कहे गए कथनों को साबित किया है। अतः प्रस्तुत विविध वाद को स्वीकृत करते हुए न्यायहित में स्वत वाद संख्या–391/2021 को पुनर्जिवित किया जाता है। आवेदक/वादी स्वत वाद संख्या–391/2021 में आवश्यक कार्रवाई करे। लेखापित अवर न्यायाधीश प्रथम जगदीशपुर, भोजपुर	